न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

अल प्र.सं. : 2/2025
सीएमएस : 2025/22
कृष्णलाल पुत्र रामलाल जाति बिश्नोई साकिन 4 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। –:प्रार्थी

बनाम

विक्रमजीत पुत्र श्री हनुमान जाति बिश्नोई साकिन 4 टीके ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
सुनील पुत्र श्री हनुमान जाति बिश्नोई साकिन 4 टीके ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। –:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:– 20.01.2025

त अधिवक्ता:–
श्री रणवीर बिश्नोई प्रार्थी अधि.।
श्री इन्द्रजीत गोदारा अप्रार्थी संख्या 1–2 अधि.।

––निर्णय–– दिनांक 30.04.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारी वाके चक 4 टीके के खाता संख्या 14 नया के मुरब्बा नं. 17 पं.नं. 169/306 के कि.नं. 3 सालम मय खाला कि.नं. 8 सालम तथा कि.नं. 13/1 में 0.126 है. कुल रकबा 0.632 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में पहुच हेतु रास्ता की मांग की है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है, जो पूर्व में चक 4 टीके में संयुक्त खाता में कृषि भूमि धारण करते है, कालान्तर में खाता विभाजन के दौरान प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता आपसी सहसमति से दिनांक 20.07.2017 को उपरोक्त चक 4 टीके के मु.नं. 17 पं.नं. 169/306 के कि.नं. 11–12 के उतरी पासा में किला लाईन से 32 फुट जगह छोड़कर मुझ प्रार्थी को रास्ता दिया तथा इस रास्ता में आई भूमि के बदले भूमि प्राप्त की तब से आज रोज तक रास्ता चालू है तथा अप्रार्थीगण रास्ता की भूमि के बदले भूमि प्राप्त कर उसे काश्त कर रहे है। अब अप्रार्थी सं. 1 व 2 के मन में उक्त रास्ता को लेकर बदनियति आ गयी है तथा ऐलानिया रास्ता बंद करने को उतारू है इसलिए अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी के मध्य दिनांक 20.07.2017 के अनुसार दिये गये चालू रास्ता को स्वीकृत किया जाना उचित है अनावेदगण व आवेदकगण की चक 4 टीके के मु.नं. 17 पं.नं. 169/306 के कि.नं. 11–12 के उतरी पासा में किला लाईन से 32 फुट जगह छोड़कर मुझ प्रार्थी को रास्ता उक्त भूमियों में आवागमन व जोत में पहुंचार्थ आपने अपने रकाबा में पहुंचते है व उक्त अस्वीकृत रास्ता आगे ... जात के काश्तकार भी अपने–अपने रकबा में पहुंच को दिये ... है, इस सरल, सुगम, नजदीक, सुविधाजनक रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है इस रास्ता को ... चाहते है इसलिए यह आवेदन पेश कर रहे है, ... मय हलफनांमा पेश कर निवेदन है कि अन्य काई रास्ता का विकल्प न होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.02 17:00:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

के कारण आवेनद स्वीकार स्वीकार फरमाया जाकर आवेदक व अनावेदनगण को अपनी जोत में पहुंच के प्रयोजनार्थ प्रार्थी के खेत में पहुंच के लिए चक 4 टीके पं.नं. 169/306 मु.नं. 17 के कि.नं. 11–12 में किला लाईन से 32 फुट जगह छोड़कर 12 फुट 3 इन्च रास्ता स्वीकृत फरमाने की कृपा करे तदनुसार तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1–2 की तरफ से श्री इन्द्रजीत गोदारा अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि आवेदक द्वारा अपनी कृषि भूमि वाके चक 4 टी.के. के खाता सं. 14 नया मुरब्बा नं. 17 पं.नं. 169/306 के कि.नं. 3–8 सालम–सालम व किला नं. 13/1 में 0.126 है. कुल 0.632 है. नहरी मय खाला खातेदारी भूमि में पहुंच के लिए हम अप्रार्थीगण की कृषि भूमि वाके चक 4 टीके का मुरब्बा नं. 17 के कि.नं. 11–12 के उतरी पासा में किला लाईन से 32 फुट जगह छोड़कर रास्ता की मांग की गयी है। चक 4 टीके के मुरब्बा नं. 17 के किला नं. 9–12 की पत्थर लाईन पर अप्रार्थी द्वारा अपनी रिहायशी ढाणी बना रखी है। प्रार्थी द्वारा मु.नं. 17 के किला नं. 11–12 के उतरी पासा में किला लाईन से 32 फुट छोड़कर रास्ता चाहा है ऐसी स्थिति में हम अप्रार्थीगण की भूमि दो भागों में बंट जावेगी तथा भूमि के छोटे–छोटे टुकड़े हो जावेगें जिनकों हम अप्रार्थीगण काश्त करने से वंचित हो जावेगे। हम अप्रार्थीगण के रकबा मु.नं. 17 के कि.नं. 11–12 में से कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा है तथा ना ही चालू हुआ है तथा ना ही इसके जरिये प्रार्थी अपने रकबा में आवागमन कर रहे है तथा ना ही उनके द्वारा कभी हम अप्रार्थीगण की भूमि में से अपने रकबा में जाने हेतू आवागमन किया है तथा ना ही ऐसे रास्ता को लेकर बतौर मुआवजा हम अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी से हम अप्रार्थीगण के रकबा में रास्ता की एवज में भूमि के बदले किला नं. 3 व 8 में कोई भूमि ही प्राप्त की है तथा ना ही ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर हैं प्रार्थी हम अप्रार्थीगण के रकबा कि.नं. 11–12 में से किसी भी प्रकार से चाहा गया रास्ता प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नहीं हैं प्रार्थी को हम अप्रार्थीगण के विरूद्व बिनाए मुखास्मत प्रार्थना पत्र भी हासिल नहीं है व प्रार्थी न्यायालय से वास्तविक तथ्यों को छुपा रहा है अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2025/128 दिनांक 19.02.2025 से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी के नाम वाके चक 4 टीके के पं.नं. 169/305 मु.नं. 8 के [illegible] 16/1 ता 18/1, 23/1, 24, 25/1 कुल 1.475 है. नहरी [illegible] ख[illegible] तथा इसी चक के मु.नं. 17 पं.नं. 169/306 के कि.नं. 3/1 [illegible] 2, 8, 13/1 की कुल 0.632 है. नहरी म[illegible] [illegible] रामलाल जाति बिश्नोई साकिन दे[illegible] [illegible] हैं। अप्रार्थीगण ने नाम चक 4 टीके के पं.नं. 170/309 मु.नं. 16 के किला नं. 5/1 की 0.190 है नहरी तथा पं.नं. 169/306 मु.नं. 17 के कि.नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.02 17:00:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिक[illegible]
रायसिंहनगर

AnyScanner

1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 10, 11, 12/1 की 1.044 है. नहरी मय खाला भूमि विक्रमजीत पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा मु.नं. 17 के कि.नं. 9 की 0.253 है. नहरी भूमि विक्रमजीत पुत्र हनुमान, सुनीलकुमार पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई हिस्सा 1/2 साकिन देह संयुक्त खाता में खातेदार दर्ज रिकार्ड है इसी चक के मु.नं. 7 के कि.नं. 12/2/0.221, 19 ता 22 सालम–सालम कुल 1.233 है. नहरी भूमि सुनीलकुमार पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। प्रार्थी ने अपने रकबे में आवागमन हेतु मु.नं. 17 के कि.नं. 11–12 में किला लाईन से 32 फीट छोकर 12 फीट 3 इंच रास्ता की मांग की है अतः प्रार्थीगण को अपने रकबे में आवागमन हेतु चक 4 टीके के मु.नं. 16 के कि.नं. 5–6–15–16–25 में स्वीकृतशुद्वा रास्ता से मु.नं. 17 के कि.नं. 11/0.013 व 12/0.012 कुल 0.025 है. आपसी सहमति से मौका पर चल रहे रास्ता को प्रस्तावित किया है उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृतशुद्वा रास्ता से अन्य निकटतम रास्ता नहीं है उक्त प्रस्तावति रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

4. बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौराया व अप्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य तहसीलदार रायसिंहनगर की मौका जांच रिपोर्ट सहमति पत्र अनुसार रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। विक्रमजीत आदि की तरफ से श्री इन्द्रजीत गोदारा अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की गई। जिसमें अंकित है कि चक 4 टी.के. के मुरब्बा नं. 17 के कि.नं. 11–12 हम अप्रार्थीगण का खातेदारी रकबा है जो हम अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में चला आ रहा है तथा इसके अलावा हम अप्रार्थीगण द्वारा मु.नं. 17 के कि.नं. 9–12 की पत्थर लाईन पर रिहायशी ढाणी बनाकर निवास किया जा रहा है इसलिए नियमानुसार हम अप्रार्थीगण के खातेदारी रकबा में आवेदक अपनी सुविधा की परिस्थितियों को देखते हुए रास्ता स्वीकृत करवा पाने का विधिक अधिकारी नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता की मौका जांच में भी भू.अ. निरीक्षक व पटवारी द्वारा कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी है मौका जांच हेतु हम अप्रार्थीगण को कोई नोटिस मौका पर उपस्थिति बाबत् जारी नही किया गया है मौका जांच भू.अ. निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा एक पक्षीय आवेदक के साथ मिलिभगत कर की जाकर जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश की है तथा मौका जांच में न तो प्रस्तावित रास्ता से रकबा दो भागों में व छोटे–छोटे टुकड़ों में विभाजित होने का अंकन किया है तथा ना ही रास्ता हेतु अन्य विकल्पों को उजागर किया गया है तथा ना ही अप्रार्थीगण के रकबा से रास्ता निकलने से रकबा कम होने व इसकी पूर्ति बाबत तथ्यों को ही उजागर किया है आवेदक साफ हाथों से न्यायालय में नही आया है तथा आवेदक द्वारा वास्तविक तथ्यों को अपने आवेदन पत्र में छुपाया जा रहा है इसलिए आवेदन पत्र अस्वीकार किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.02 17:00:59 IST
Reason: SelfAttested

5. हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर ... उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार ... रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता की श्रेणी में है। मु.नं. 17 के कि.नं. 11/0.013 व 0.012 कुल 0.025 है. आपसी सहमति से मौका पर चल रहे रास्ता को प्रस्तावित किया है उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृतशुद्वा रास्ता से अन्य निकटतम रास्ता नहीं है। तहसीलदार रायसिंहनगर की मौका रिपोर्ट में आपसी सहमति से मौका पर चल रहे रास्ता को स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया है व प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मध्य दिनांक 20.07.2017 शपथ पत्र बाबत रास्ता आपसी सहमति के तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251क आरटीएक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित है।

—:आदेश:—

तः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत ा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बखूबी साबित होने से कार किया जाकर **वाके चक 4 टीके के खाता संख्या 14 नया के मुरब्बा 17 पं.नं. 169/306 के 11—12 के उतरी पासा में किला लाईन से 32 फुट ाह छोड़कर कि.नं. 11—12 प्रत्येक में 0.020 है. कुल 0.040 है. गैरमुमकिन स्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है।** अतः तहसीलदार रायसिंहनगर ास्ते में आने वाली भूमि के बदले प्रार्थी के मु.नं. 17 के कि.नं. 3 व 8 येक 0.020 है. कुल 0.040 है. पश्चिमी—दक्षिणी पासा कि.नं. 2 व 9 के साथ पती भूमि देगा। ऐसा आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। निर्णय ा प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार कर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

र्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास ुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.02 17:00:59 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner